5 और 15 वर्ष की आयु पर बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट कराना अनिवार्य

5 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) 30 सितंबर 2027 तक निःशुल्क

चंडीगढ़, 20 नवंबर 2026: बच्चों के बड़े होने के साथ-साथ उनके बायोमेट्रिक लक्षणों, जैसे उंगलियों के निशान, आंखों की पुतली (आइरिस) और चेहरे की पहचान संबंधी विशेषताओं में भी विकास एवं परिवर्तन होता है। बच्चों के आधार बायोमेट्रिक रिकॉर्ड को उनकी बढ़ती उम्र के अनुरूप अद्यतन बनाए रखने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा 5 वर्ष और पुनः 15 वर्ष की आयु में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) करवाना निर्धारित किया गया है। अभिभावकों से अपील है कि वे निर्धारित आयु पड़ावों पर अपने बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट अवश्य करवाएं, ताकि भविष्य में आधार प्रमाणीकरण से संबंधित संभावित कठिनाइयों से बचा जा सके।

अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट बच्चों के आधार बायोमेट्रिक विवरण को अद्यतन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न हो सके। समय पर बायोमेट्रिक अपडेट करवाने से बच्चों को आधार आधारित सेवाओं एवं विभिन्न अवसरों, जैसे शैक्षणिक प्रक्रियाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं, छात्रवृत्तियों तथा अन्य सेवाओं, जहां आधार प्रमाणीकरण आवश्यक हो सकता है, का लाभ प्राप्त करने में संभावित असुविधाओं से बचने में मदद मिलती है।

UIDAI द्वारा 5 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) 30 सितंबर 2027 तक निःशुल्क किया जा रहा है। बच्चों के विद्यालयों में नियमित रूप से आधार MBU शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे अभिभावकों को अपने बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट विद्यालय में ही करवाने की सुविधाजनक अवसर मिल रहा है। इस अवधि के दौरान इस सेवा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

बच्चों के विद्यालयों में आयोजित अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट शिविर अभिभावकों के लिए इस सेवा का लाभ उठाने का एक सुविधाजनक माध्यम हैं। अभिभावकों से आग्रह है कि वे अपने बच्चों के विद्यालयों में आयोजित होने वाले आधार MBU शिविरों की जानकारी एवं निर्धारित कार्यक्रम के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा विद्यालय प्रशासन से संपर्क करें। इसके अतिरिक्त, बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट निकटतम आधार सेवा केंद्र (ASK) अथवा अन्य अधिकृत आधार केंद्रों पर भी करवाया जा सकता है, जहां यह सेवा उपलब्ध है।

UIDAI के आधार सेवा केंद्र सप्ताह के सातों दिन संचालित होते हैं, जिससे नागरिक अपनी सुविधानुसार केंद्र पर जाकर सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, केंद्र के निर्धारित संचालन समय एवं सेवा उपलब्धता के अधीन। अभिभावकों से आग्रह है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं और अपने बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट समय पर सुनिश्चित करें।

****